न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 262 / 2016

उनवान

1. श्रीमती बाली पत्नी उगमा जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी / विपक्षी

बनाम

1. श्रीमती जेतू पत्नी स्व0 मांगू जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. लक्ष्मीलाल आत्मज काना जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. मन्जू पुत्री काना जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती अणन्दी पत्नी बद्री जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. बद्री पुत्र देबी जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. लादू पुत्र देबी जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. श्रीमती लादी पत्नी स्व0 गोपी जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. श्रीमती नोसी पत्नी गोपाल लाल जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. शंकर आत्मज गोपी जाट निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 35/2013 निर्णय दिनांक 27.6.2016

अभिभाषक : 1. श्री अरूण देराश्री, ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राजेन्द्र सिंह भाटी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 5.12.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम खेडलिया तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 701 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 702 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 725 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 751 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 699 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 700 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 703 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 705 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 963/1600 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 750 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 839 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 844 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 856 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 484 रकबा 13 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थीगण की है। उस तक पहूँचने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 842 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 855 रकबा 13 बिस्वा, 930/749 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 841 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में 12 फीट चौडा रास्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी पर आने जाने के लिए रास्ता कायम कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खेडलिया तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 701 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 702 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 725 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 751 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 699 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 700 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 703 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 705 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 963/1600 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 750 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 839 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 844 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 856 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 484 रकबा 13 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थीगण की है। उस तक पहूँचने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 842 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 855 रकबा 13 बिस्वा, 930/749 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 841

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में 12 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकार किया है। जो खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थीया ने जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया एवं अपीलाण्ट की आराजी में आने–जाने हेतु कोई रास्ता नही होने व प्रत्यर्थीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी तक जाने के लिए आराजी नम्बर 891 में रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया था। उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया । जिसकी अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 794 के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया है। इसी प्रकार प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिए आराजी नम्बर 698 से होकर अपनी आराजी में आराजी नम्बर 891 से सुगमता से प्रवेश कर सकते हैं। आराजी नम्बर 698 व 891 के खातेदार को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थीया जो कि एक गरीब निर्धन एवं वृद्ध महिला है उसे परेशान करने की नियत से व उसकी भूमि के टूकडे कर अपीलार्थीया की भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हडपने की नियत से उक्त झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

6. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में नन्दा पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी खेडलिया को पक्षकार आवेदक बनाया गया जबकि उसकी मृत्यु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिसमें प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए आराजी नम्बर 698 से रास्ता दिया जा सकता था। पत्रावली पर नजरी नक्शा उपलब्ध था परन्तु नजरी नक्शे का अवलोकन ही नहीं किया गया।

8. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवारी हल्का ने जो पर्चा मौका बनाया है उस पर मात्र प्रत्यर्थीगण के हस्ताक्षर है अपीलाण्ट की मौजूदगी में पर्चा मौका नहीं बनाया गया है। किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 से 9 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

था। इसलिए प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । अपीलाण्ट ने जवाब दावा प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गय था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई । प्रत्यर्थीगण को अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने मौजा खेडलिया में प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खेडलिया तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 701 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 702 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 725 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 751 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 699 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 700 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 703 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 705 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 963/1600 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 750 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 839 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 844 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 856 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 484 रकबा 13 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थीगण की है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध उपलब्ध नही होने का कथन करते हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 742, 743, 749, एवं 980/749 तथा अन्य आराजी नम्बर 750 के अतिरिक्त आराजी नम्बर 703 में 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी पर आने जाने के लिए रास्ता कायम कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया था। जिस पर अपीलाण्ट/विपक्षीया संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया । जिसमें अंकित किया गया था कि प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आराजी नम्बर 698 में होकर सुगमता से पहूॅच सकते हैं। परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

11. नजरी नक्शा जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिसका अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 699 भी है उसीसे लगती हुई अन्य आराजियात भी है। ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 699 तक पहॅचने के लिए आराजी नम्बर 698 से रास्ता सुगमता से उपलब्ध कराया जा सकता था। इस तथ्य का अंकन अपीलाण्ट/विपक्षी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एवं पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा बनाते समय नक्शें का पूरी तरह अवलोकन तक नहीं किया ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने जिस पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उसमें अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 742 गैर मुमकिन खड्डा है । जिसमें से होकर रास्ता दिया गया है। जहॉ से कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, बैलगाडी आदि लाने–लेजाने में होने वाली असुविधा का भी ध्यान नहीं रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में अंकित तथ्यों का भी अवलोकन नहीं किया । पटवार हल्का व गिरदावर की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.6.2016 अपीलाण्ट की उपस्थिति में नहीं बनाई गई थी। जिससे अपीलाण्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अतः नक्शे का अवलोकन मौका पर्चा बनाते समय नहीं किया गया तथा प्रार्थीगण की आराजियात तक पहूॅचने के लिए अन्य उपलब्ध रास्ते को भी ध्यान में नहीं रखकर जो पर्चा मौका बनाया गया है एवं उसके आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नही किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.6.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नक्शें का अवलोकन कर प्रार्थीगण को अपनी आराजियात तक पहूॅचने के लिए अन्य रास्ता जो अपीलार्थी द्वार बताया गया है, का भी मौका निरीक्षण कर जिस आराजी से सुगमता से रास्ता उपलब्ध कराया जा सके , उस आराजी नम्बर के खातेदारान को भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें।

14. निर्णय आज दिनांक 5.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

5/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा